

16.9.20 आवेदक **1.सलीत महतो एवं 2. विनोद मुखिया**, जो सिंधिया थाना काण्ड सं0 139/20, धारा-37(b)(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 16 के अन्तर्गत दि0 10.9.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विमल किशोर राय के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए कथन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसने किसी प्रकार के शराब का सेवन नहीं किया है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फँसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरुद्ध नहीं बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दि0 10.9.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री अरुण कुमार सिन्हा के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य के विरुद्ध धारा-37(b)(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 16 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध शराब पीकर घटनास्थल पर हंगामा करने तथा राहगीरो के साथ गाली-गलौज करने का आरोप है जिसका सूचक द्वारा ब्रेथ एनालाईजर से जाँच करने पर अभियुक्त सलीत महतो का बी0ए0सी0 153.2एम0जी0/100एम0एल0 एवं अभियुक्त विनोद मुखिया का बी0ए0सी0 141.2 एम0जी0/100एम0एल0 पाया गया। अभियुक्तगण दि0 10.9.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को मो0 दस हजार रू0 के बंध-पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा। कोविड-19 महामारी के लाकडाउन के कारण प्रतिभूति, व्यक्तिगत उपस्थित न होकर अपने स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ इस आशय का वचन पत्र देगा, कि वह आवेदक अभियुक्तगण **1. सलीत महतो एवं 2. विनोद मुखिया** का जमानतदार होना स्वीकार करता है और लाकडाउन अवधि समाप्त होने के 10 दिनों के अन्दर-अन्दर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बंध-पत्र को सम्पुष्ट करेगा। प्रतिभूति, अपनी जायदाद के कागजात के साथ अभियुक्त का नाम, पता, केस नम्बर, और अभियुक्त से अपने संबंध का उल्लेख रहेगा, के साथ **Virtual Hearing**

Facilitator Apps पर डालेगा।

लेखापित

